न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/197/2016

उनवान

1. शंकर लाल पिता धन्ना जाट, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल, जिला भीलवाडा
2. **रामप्रसाद पिता** धन्ना जाट, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल, जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. मुंशी खॉ आत्म महबूब खां मुसलमान, निवासी–भदाली खेडा, तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्रीमती मांगी बेवा धन्ना जाट (मृतक के बजाय)
   2/1 शांता पुत्री स्व0 धन्ना जाट पत्नी लेहरू जाट निवासी–दांता कला, तहसील–माण्डल जिला भीलवाडा
   2/2 गीता पुत्री धन्ना जाट पत्नी शंकर लाल जाट, निवासी–देवली, तहसील–हमीरगढ, जिला भीलवाडा
   2/3 शंकरी देवी पत्नी शिवलाल जाट, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल जिला भीलवाडा
3. दी सेण्ट्रल बैंक शाखा, माण्डल, जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के
प्रकरण संख्या 251/2011 निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.3.2016

अभिभाषक :

1. **श्री रतन लाल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण**
2. **श्री बी एल बापना ,अधि0 प्रत्यर्थी**

आदेश

दिनांक 12.02.2026

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 2/3 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कीर खेडा पटवार हल्का संतोक पुरा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकार आधिपत्य की निम्नलिखित आराजियात स्थित है :–

आराजी नम्बर	रकबा
8699	1 बीघा 02 बिस्वा
8700	1 बीघा 02 बिस्वा
8701	04 बिस्वा
8702	1 बीघा 16 बिस्वा
8703	2 बीघा 05 बिस्वा
8704	1 बीघा 12 बिस्वा

कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा

उक्त आराजियात में वादीगण व प्रतिवादीगण में से प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा है किन्तु वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1व 2 के पिता एवं वादी संख्या 2 दो के पति श्री धन्ना जी जाट ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजियात का बंटवाड़ा कर बंटवाड़ानामा की 10/– दस रूपये के स्टाम्प पर लिखापढी करा दी थी जिसके अनुसार आराजी नम्बर 8699 आराजी नं. 8700 किता 2 रकबा 2 बीघा 4 चार बिस्वा वादी संख्या 1 एक शिवलाल के हक हिस्से में रखी एवं आराजी नम्बर 8703 सत्यासी सौ तीन रकबा 2 दो बीघा 5 पांच बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एक शंकरलाल के हिस्से में रखी तथा आराजी नं. 8704 रकबा 1 बीघा 12 बारह बिस्वा एवं आराजी नं. 8702 रकबा 10 दस बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 दो रामप्रसाद के हिस्से में रखी तथा वादी संख्या 2 दो श्रीमती मांगी के हिस्से में आराजी नम्बर 8702 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि रखी। इसी अनुसार इन सबको अलग–अलग कब्जा दे दिया था जो आज पर्यन्त चला आ रहा है। वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण पिताजी द्वारा किये गये उक्त बंटवाड़े के अनुसार उनके हक हिस्से में आई भूमि पर ही काबिज है एवं इसी अनुसार उपयोग उपभोग एवं काश्त करते आ रहे हैं। वादी संख्या 1 शिवलाल ने उसके हक हिस्से की आराजी नम्बर 8699 एवं आराजी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नं. 8700 को श्री मोहम्मद सईद आत्मज मोहम्मद हनीफ जी अंसारी निवासी माण्डल के रहन रख रखा है। उक्त वर्णित सारी आराजियात पर प्रतिवादी सं. 3 तीन दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा माण्डल का ऋण होने से जमाबंदी में रहन का अंकन हो रहा है।

2. उक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में रहने से इस भूमि में फसल काश्त करने और राजस्व लगान जमा कराने में एवं भूमि को विकसित करने में भारी कठिनाई आती है और सहखातेदारान के मध्य विवाद बना रहता है जिससे इस भूमि का बारा संख्या 1 एक में वर्णित कब्जे के अनुसार मीट्स एण्ड बाऊण्ड्स से विभाजन कराया जाकर वादीगण के हिस्से अनुसार खाता व लगान अलग–अलग कराया जाना आवश्यक है। इस बाबत् विभाजन आराजियात की डिक्री बहक वादीगण पारित किया जाना उचित है।

3. वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 4–6–2007 को इस भूमि को विभाजन कराकर खाता व लगान अलग–अलग कराने हेतु कहा किन्तु वह सहमत नहीं हुई जिससे विभाजन आराजियात हेतु यह वादपत्र पेश करने की नौबत आई है और कारण वाद दिनांक 4–6–2007 से उत्पन्न होकर जारी है।

4. प्रतिवादी संख्या4 चार लैण्डहोल्डर होने से विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार है जिससे उन्हें भी इस वाद में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

5. अतः निवेदन है कि वाद अनुसार विभाजन आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित कीजाकर ग्राम कीरखेड़ा पटवार क्षेत्र संतोकपुरा तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा में स्थित वादपत्र की धारा संख्या 1 एक में वर्णित उक्त आराजियात किता 6 रकबा 8 बीघा एक बिस्वा का धारा संख्या 1 एक में वर्णित कब्जे के अनुसार मीट्स एण्ड बाऊण्ड्स से विभाजन कराया जावे और उक्त अनुसार वादीगण के हक हिस्से की आराजियात का खाता व लगान विभाजन से अलग कायम कराया जाये और विभाजन से वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि पर वादीगण का एकल व स्वतंत्र आधिपत्य कराया जावे।

6. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.3.2010 से स्वीकार किया । जिससे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मामले में निर्णय डिक्री दिनांक 12.3.2016 की जानकारी प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को नहीं थी। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने इसकी सूचना प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को नहीं दी । प्रतिवादीगण अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने प्रतिवादी अपीलाण्ट को कहा कि जब भी आपकी आवश्यकता होगी आपको सूचित कर देंगें लेकिन उन्होनें काफी समय तक प्रतिवादी अपीलाण्ट को इसकी जानकारी नहीं दी इस पर प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने दिनांक 16.6.2016 को अपने अधिवक्ता से मिलकर मामले की जानकारी चाही जिस पर अधिवक्ता ने मामले के दिनांक 12.3.2016 को हीं निर्णित होने की जानकारी इस । इस प्रकार मामले में निर्णय की जानकारी प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को सर्वप्रथम दिनांक 16.6.2016 को हुई। लिहाजा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12. 3.2016 से जानकारी दिनांक 16.6.2016 के मध्य के समय को समायोजित किया जाना न्याहित मं आवश्यक है।

9. अपीलार्थीगण ने अपील जानबूझकर विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्‌भाविक है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.09.08 की पालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में दी गई प्रकिया व प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए और प्रतिवादीगण–अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय एंव अन्तिम डिक्री पारित की जावे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निर्णय पारित करते समय इन निर्देशो की ओर कोई ध्यान नही दिया गया। तहसीलदार द्वारा मोके पर जाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार नही किया गया। तहसीलदार द्वारा कार्यालय में बैठकर पूर्व में दिनांक 08.09.2008 को तैयार बंटवाड़ा प्रस्ताव का हुबहू बंटवाडा प्रस्ताव पुनः तैयार कर प्रस्तूत कर दिया गया जो सरासर गलत है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से पुर्व तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट को कोई सुचना नहीं दी। प्रतिवादी अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजियात को वादी रेस्पोडेन्ट के हिस्से में रख दी। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति भी प्रस्तूत की लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट की आपत्ति को नजर अन्दाज कर आलोच्य निर्णय एव डिकी पारित कर दी जो निरस्त होने योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया की प्रकरण में दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करे। इस कारण प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29. 11.11 को आदेश 9 नियम 7 व 13 का पेश कर निवेदन किया की प्रतिवादी अपीलान्ट के विरुद्ध पूर्व में पारित एक तरफा कार्यवाही के आदेश को निरस्त कर प्रतिवादी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे ताकि प्रतिवादी अपीलान्ट अपनी साक्ष्य प्रस्तूत कर सके जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया जिससे प्रतिवादी अपनी ओर से साक्ष्य पेश नहीं कर सका। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशो को नजर अन्दाज कर आलोच्य निर्णय एंव डिकी पारित कर दी जो निरस्त होने योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अपने द्वारा प्रस्तूत वादपत्र की चरण संख्या 1 में वादीगण ने यह अंकित किया की वादी एंव प्रतिवादी के पुर्वज धन्ना जी ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजियात का विभाजन 10 रुपये के स्टाम्प पर कर दिया था जिसके अनूसार आराजी संख्या 8699 व 8700 वादी शिवलाल, आराजी संख्या 8703 प्रतिवादी अपीलान्ट शंकरलाल, आराजी संख्या 8704 व आराजी संख्या 8702 में से 10 बिस्वा भुमि प्रतिवदी रामप्रसाद व आराजी सं. 8702 का शेष रकबा मांगी के हिस्से में रहा। इस सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 कायम की गई जिसे साबित करने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

का भार वादी रेस्पोडेन्ट पर था। वादी रेस्पोडेन्ट ने इस तनकी को साबित कराने के लिए कोइ साक्ष्य पेश नहीं की फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.09.2008 में इस तनकी को साबित मानते हुए वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जबकि तहसीलदार द्वारा जो बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है वह इस तनकी के अनुसार न होकर इसके विपरीत दिशा का है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय एव डिक्की पारित की जो सरासर गलत होकर निरस्त होने योग्य है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तहसीलदार व पटवार हल्का द्वारा कार्यालय में बैठकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है। बंटवाडा प्रस्ताव मौके पर कब्जे के अनुसार तैयार नहीं किया गया है। मोके पर आराजी संख्या 8699 व 8700 पर अपीलान्ट रामप्रसाद, आराजी संख्या 8702 पर अपीलान्ट शंकरलाल, आराजी संख्या. 8704 पर रेस्पोडेन्ट मुंशी खॉ एंव आराजी संख्या 8703 पर रेस्पोडेन्ट मांगी देवी का कब्जा है। लेकिन वादीगण द्वारा पटवार हल्का से मिलीभगत कर गलत बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करवाया गया एंव अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के बाद वापस बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाने पर तहसीलदार साहब द्वारा पूर्व के बंटवाड़ा प्रस्ताव के हुबहू नया बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर भिजवा दिया गया। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति भी प्रस्तूत की लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट की आपत्ति को नजर अन्दाज कर आलोच्य निर्णय एंव डिकी पारित कर दी जो निरस्त होने योग्य है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि नियमानुसार प्रारम्भिक डिकी की पालना में स्वयं तहसीलदार द्वारा मोके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवाना आवश्यक था लेकिन तहसीलदार माण्डल मोके पर नहीं गये न ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलान्ट को कोई नोटिस एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। मात्र पटवार हल्का द्वारा पुर्व में तैयार विभाजन प्रस्ताव के अनूसार हुबहु नया प्रस्ताव तैयार कर भिजवा दिया गया जो मोके पर कब्जे के अनूसार नही था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी शिवलाल द्वारा उसके हिस्से में आराजी संख्या 8699 व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

8704/1 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विकय कर दी इस कारण इन आराजियात के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट मुंशी खाँ को वादी के रुप में पक्षकार संयोजित कर लिया व आराजी संख्या 8701 के सम्बन्ध में शिवलाल को वादी के रुप में वाद में पक्षकार कायम रखा। दोराने वाद वादी शिवलाल का निधन हो गया। नियमानुसार शिवलाल के विधिक वारिसों को वाद में पक्षकार किया जाना चाहिए था लेकिन वादीगण द्वारा शिवलाल के विधिक वारिसों को निर्धारित अवधि में पक्षकार कायम नही किया व उसके नाम को डिलीट कर दिया गया इस कारण वादी का वाद अबेट हो जाने से खारिज किया जाना चाहिए था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया इस कारण अधिनस्थ न्यायालय आलोच्य निर्णय निरस्त होने योग्य है।

16. अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारापारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.3.2016 को निरस्त किया जावे।

17. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया। उनका यह निवेदन है कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक दिवस की विलम्ब अवधि का स्पष्ट और युक्तियुक्त कारण दर्शाया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह उचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज करते हुए अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

18. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी व माता मांगी तीनों का हिस्सा एकसाथ रखा, व शिवलाल जिसका मुंशीखॉ ने खरीदा उसे एकतरफा रखा गया है। शिवलाल जहॉ मौके पर था उस भूमि को बेचान मुंशीलाल को किया गया है व मौके पर उसी अनुसार काबिज है। माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार तहसीलदार स्वयं ने नियम 18 से 21 की पालना कर मौका रिपोर्ट तैयार की है। प्रारंभिक डिकी के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है। बंटवाडा प्रस्ताव आने पर प्रतिवादी की आपत्ति का निस्तारण कर निर्णय एवं अंतिम डिकी पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिकी का परीक्षण कर अंतिम डिकी पारित की गई है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील न्यायालय, भीलवाड़ा (राज.)

19. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज़ात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मामले में निर्णय डिक्री दिनांक 12.3.2016 की जानकारी प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को नहीं थी। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने इसकी सूचना प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को नहीं दी । प्रतिवादीगण अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने प्रतिवादी अपीलाण्ट को कहा कि जब भी आपकी आवश्यकता होगी आपको सूचित कर देंगें लेकिन उन्होनें काफी समय तक प्रतिवादी अपीलाण्ट को इसकी जानकारी नहीं दी इस पर प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने दिनांक 16.6.2016 को अपने अधिवक्ता से मिलकर मामले की जानकारी चाही जिस पर अधिवक्ता ने मामले के दिनांक 12.3.2016 को ही निर्णित होने की जानकारी इस । इस प्रकार मामले में निर्णय की जानकारी प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को सर्वप्रथम दिनांक 16.6.2016 को हुई। लिहाजा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.3.2016 से जानकारी दिनांक 16.6.2016 के मध्य के समय को समायोजित किया जाना न्याहित मं आवश्यक है।

20. अपीलार्थीगण ने अपील जानबूझकर विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

21. प्रत्यर्थी की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलाथीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

22. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन , अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन, व मिलानकिया गया। रेकार्ड अनुसार मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा बनाई गई है। बंटवाडा प्रस्ताव प्रारंभिक डिक्री के अनुसार है। बंटवाडा प्रस्ताव पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए निर्णय पारित किया गया है। जो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

23. आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.3.2016 को यथावत रखा जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।

24. आदेश आज दिनांक 12.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनायागया।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/197/2016

उनवान

1. शंकर लाल पिता धन्ना जाट, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल, जिला भीलवाडा
2. **रामप्रसाद पिता** धन्ना जाट, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल, जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. मुंशी खॉ आत्म महबूब खां मुसलमान, निवासी–भदाली खेडा, तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्रीमती मांगी बेवा धन्ना जाट (मृतक के बजाय)

2/1 शांता पुत्री स्व0 धन्ना जाट पत्नी लेहरू जाट निवासी–दांता कला, ~~तहसील–माण्डल जिला भीलवाडा~~

2/2 गीता पुत्री धन्ना जाट पत्नी शंकर लाल जाट, निवासी–देवली, तहसील–हमीरगढ़, जिला भीलवाडा

2/3 शंकरी देवी पत्नी शिवलाल जाट, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल जिला भीलवाडा

3. दी सेण्ट्रल बैंक शाखा, माण्डल, जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के
प्रकरण संख्या 251/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.3.2016

अभिभाषक :

3. **श्री रतन लाल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण**
4. **श्री बी एल बापना ,अधि0 प्रत्यर्थी**

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/197/2016 मे उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्की जारी की जाती हैः–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

यह अपील तारीख 12.2.2026 को अपीलाण्ट की ओर से श्री रतन लाल जाट, वकील प्रत्यर्थी संख्या की ओर से श्री बी एल बापना की उपस्थिति मे दिनांक 11.9.2025 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.3.2016 को यथावत रखा जाता है।

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.2.2026 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 12.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस